

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय

सं०सं०-1/उ०नि० आरोप-17-02/18

आदेश

श्री विनोद सिंह, उद्योग विस्तार पदाधिकारी सम्प्रति अंचलाधिकारी, दाउदनगर, जिला-औरंगाबाद को दिनांक-25.02.18 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के भाग-4 के नियम 9 (2)(क) के आलोक में हिरासत में लिये जाने की तिथि 25.02.2018 से श्री विनोद सिंह, उद्योग विस्तार पदाधिकारी सम्प्रति अंचलाधिकारी, दाउदनगर, जिला-औरंगाबाद को निलम्बित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 (3) के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता अनुमान्य होगा।

ह०/-  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक

/पटना, दिनांक

सं०सं०-1/उ०नि० आरोप-17-02/18

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 856

/पटना, दिनांक 28.2.18

सं०सं०-1/उ०नि० आरोप-17-02/2018

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/संयुक्त निदेशक, कृषि गणना, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/पुलिस निरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना/उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना /प्रधान सचिव के आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं श्री विनोद सिंह, उद्योग विस्तार पदाधिकारी सम्प्रति अंचलाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।